UPGK010013302026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–662/2026

अनिल यादव पुत्र पुजारी यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी कस्बा संग्रामपुर उनवल, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर।

..........**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... **विपक्षी**

मु०अ०सं०–158/2023
अंतर्गत धारा–323, 506, 325 आई०पी०सी०
व 3(1) द,ध SC/ST Act
थाना–खजनी, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 18–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **अनिल यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र पुजारी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का एक गरीब दलित व्यक्ति है। नगर पंचायत उनवल के सभासद चुनाव को लेकर अपने वार्ड सं0–9 के निवासी शिवम यादव पुत्र श्याम नारायण यादव उर्फ दुक्खी और श्याम नारायण यादव उर्फ दुक्खी पुत्र ललसा तथा अनिल यादव पुत्र पुजारी यादव एवं दो अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी श्रवण बेलदार पुत्र हरिवंश बेलदार को मतगणना के बाद घर आते समय रास्ते में उपरोक्त तीनों एवं दो अज्ञात घात लगाकर बैठे थे, आते ही शिवम ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए रोका और श्याम नारायण यादव उर्फ दुक्खी व अनिल यादव पुत्र पुजारी ने लाठी–डण्डे से मारना शुरू किया और शिवम यादव ने कट्टा खोसकर लात–घुसो और राड से मारना शुरू किया। प्रार्थी बेहोश होकर गिर गया। शोर सुनकर मेरा छोटा भाई सचिन बेलदार दौड़ते हुए आया और हमलावरों का हाथ–पैर जोड़ने लगा, तो उक्त तीनों लोग छोड दिये और जाते वक्त कहे कि तुम साले बेलदार की जाति हो सर पर मत चढ़ो, अपने

औकात में रहो अन्यथा उनवल में रहना मुश्किल हो जायेगा। मेरे भाई सचिन ने हमे लादकर उनवल चौकी ले गया जहां चौकी इंचार्ज और सिपाही जिनका नाम नहीं जानता ने 108 नं पर काल करके एम्बुलेंस बुलाया और कहा दवा कराकर आओगे तब देखा जायेगा। उपरोक्त लोग सरकस, दबंग, गोलबन्द और मनगढ़ किस्म के व्यक्ति है, जो आये दिन हम दलित जातियों को परेशान करना, मारना–पिटना, हरि–बेगारी कराने का दबाव देते रहते हैं और न सुनने पर मारना– पिटना शुरू कर देते है, जिससे हम दलित जातियों का जीना दुश्वार हो गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना तथ्यो के बिलकुल विपरीत अंकित कराई गई है। प्रार्थी का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा गांव की पार्टीबन्दी के कारण प्रार्थी को फर्जी तौर से मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी खेती किसानी का काम करता है उससे होने वाली आय से अपने परिवार का गुजर बसर करता है। प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा को मारा पीटा नहीं गया है और ना सार्वजनिक रूप से कोई जाति सूचक शब्द अथवा गाली दी गयी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर चुनावी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों एवं भद्दी भद्दी गाली से अपमानित करते हुए लात मुक्का व राड से मारने पीटने तथा कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिल को आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है तथा एक्सरे रिपोर्ट में NAD व फ्रैक्चर आफ लोवर इन्ड आफ ह्यूमरस अंकित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर

तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनिल यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–662/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.18 16:58:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court